

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर  
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.1(क)(44)का /आर.एम.एस./ डी.एल.बी./15/ 1006

दिनांक : 8-2-17

आदेश

मा० मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2017 को अपराह्न 2.30 बजे जिला कलक्टर सभागार, अजमेर में अजमेर सम्मान के अजमेर विकास प्राधिकरण/निकायों में विभाग के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की जायेगी।

इस बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण/निकायों के नियमित कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ निम्न बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जायेगी :-

- 01- Sewerage Status
- 02- Strom Water Drainage
- 03- Smart Cities
- 04- स्वच्छ भारत मिशन (SBM)
- 05- एन.यू.एल.एम. (N.U.L.M.)
- 06- Heritage Conservation
- 07- AMRUT
- 08- Conservation of Water Bodies
- 09- Any Other

बैठक में अजमेर सम्मान की निकायों के समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष एवं आयुक्त/अधिशासी अधिकारी तथा अजमेर विकास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/आयुक्त समस्त सूचनाओं के साथ उपस्थित रहेंगे।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, जिला कलक्टर, अजमेर, परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, मुख्य अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, परियोजना निदेशक (एन.यू.एल.एम.), अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत), निदेशालय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के आयुक्त उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

इस बैठक का समन्वय उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर द्वारा किया जायेगा।

50/-

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 8-2-17.

क्रमांक:प.1(क)(44)का /आर.एम.एस./ डी.एल.बी./15/ 1007-1041

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01. विशिष्ट सहायक, मा० मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- 02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- 03. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
- 04. जिला कलक्टर, अजमेर।
- 05. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर।
- 06. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- 07. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, जयपुर।
- 08. मुख्य अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, परियोजना निदेशक (एन.यू.एल.एम.) अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) निदेशालय।
- 09. अध्यक्ष /आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
- 10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका, अजमेर सम्मान की उक्त बैठक में उपस्थिति वांछनीय है।।
- 11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं उक्त बैठक के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारियां एवं समन्वय किया जाना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित विधायकगणों को अपने स्तर पर आर्थित कर विभाग को अवगत करावें।
- 12. सुरक्षित पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)

अतिरिक्त निदेशक

80